न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री बी0एल0मेहरड़ा, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—451/2016/223 (2016/00451)

1. विश्राम पुत्र स्व0 लक्ष्मण,
2. गीता पुत्री स्व0 लक्ष्मण,
3. तुलसी पत्नि स्व0 लक्ष्मण,
   समस्त जाति जाट, निवासी ग्राम साखुन, तह0 दूदू, जिला जयपुर ।

अपीलांटस

बनाम

1. छीतरलाल पुत्र स्व0 छोटू,
2. नारायण पुत्र स्व0 छोटू,
   समस्त जाति जाट, निवासी ग्राम साखुन, तह0 दूदू, जिला जयपुर ।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, दूदू, जिला जयपुर ।

रेस्पोडेंटस

4. नाराज पत्नि स्व0 जयराम,
5. राजू पुत्र स्व0 जयराम,
6. पूजा पुत्री स्व0 जयराम,
7. कुमकुम पुत्री स्व0 जयराम,
8. प्रिया पुत्री स्व0 जयराम,
   रेस्पो0 संख्या 5 लगायत 8 नाबालिग जरिये सरंक्षक माता श्रीमती नाराज पत्नि स्व0 जयराम ।
   समस्त जाति जाट, निवासी ग्राम साखुन, तह0 दूदू, जिला जयपुर ।

प्रफोर्मा रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विरूद्ध निर्णय व अंतिम डिक्री विद्वान उपखण्ड अधिकारी, दूदू दिनांक 5.4.2016 अंतर्गत वाद संख्या 68/2014.

उपस्थितः—

1. श्री एन0एस0 पारीक एवं श्री दीपक पारीक, वकील अपीलांटस।
2. श्री दिनेश कुमार एवं श्री पन्नालाल चौधरी, वकील रेस्पो0 संख्या 1 व 2 .
3. श्री धर्मवीर चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 3 .
4. रेस्पो0 संख्या 4 लगायत 8 अनुपस्थित ।

निर्णय

दिनांकः— 28.6.2019

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, दूदू के निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 5.4.2016 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।

2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण/रेस्पो0 संख्या 1 व 2 ने अधी0न्याया0 के समक्ष एक वाद बाबत् तकासमा व स्थायी निषेधाज्ञा पेश कर निवेदन किया कि विवादित आराजियात खसरा नंबर 1684/5349, 1685, 1686, 1696, 1697, 1698, 1704/5310, 1705, 1820, 1821, 1822, 1823, 1866, 1867, 1868, 1869, 1870, 1871, 1872, 1884, 1885 कुल किता 21 कुल रकबा 11.83 हे0 वाके ग्राम साखुन तहसील दूदू में स्थित है जो वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 8 की संयुक्त खातेदारी की आराजियात है जिसमें वादीगण का 1/2 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 8 का 1/2 हिस्सा है जिस पर हिन्से अनुसार आपसी सहमति व रजामंदी से विभाजन कर मौके पर काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है । विवादित आराजियात का विधिवत् तकासमा नहीं होने के कारण वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 8 के मध्य मेर, कोर व लगान को लेकर आए दिन झगड़ा होता रहता है तथा वादीगण अपने हिस्से की आराजी पर ऋण लेकर अधिक उपजाउ व विकसित करने से महरूम रह जाते है । अतः वाद स्वीकार कर विवादित आराजियात का वादपत्र में दर्शाये अनुसार डिक्री किया जाकर प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे । विद्वान अधी0न्याया0 ने दिनांक 25.11.2014 को निर्णय पारित कर वाद में प्राथमिक डिक्री पारित की तत्पश्चात् अधी0न्याया0 ने तहसीलदार से प्रस्ताव प्राप्त होने के उपरांत वाद में दिनांक 5.4.2016 को निर्णय व अंतिम डिक्री पारित की । अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व अंतिम डिक्री से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया । रेस्पो0 संख्या 1 व 2 उपस्थित, शेष रेस्पो0 संख्या 5 लगायत 8 बावजूद सूचना के अनुपस्थित । अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में विद्वान उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व डिक्री विधिक प्रक्रिया एवं विधिक प्रावधानों की पूर्ण पालना किये बिना अवैधानिक रूप से पारित की गई है जो काबिल निरस्तनीय है । अधी0न्याया0 के समक्ष पत्रावली दावा एवं जवाबदावा के आधार पर तनकियात कायम किये जाने के स्तर पर नियत थी ऐसी स्थिति में सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेशात्मक प्रावधान आदेश 14 के तहत तनकियात कायम की जाकर तथा पक्षकारों के बयान लेखबद्ध किए जाने के उपरांत दानों पक्षों की बहस सुनकर निर्णय व डिक्री पारित किया जाना चाहिये था लेकिन अधी0न्याया0 ने उक्त प्रक्रिया के विपरीत सीधे ही प्राथमिक डिक्री पारित करने में घोर अनियमितता कारित की है । बहस में आगे कथन किया कि अधी0न्याया0 द्वारा पारित प्राथमिक डिक्री डिक्री दिनांक 25.11.2014 ही जब अविधिक है तो उसके आधार पर पारित अंतिम डिक्री भी अविधिक होकर निरस्तनीय है । अधी0न्याया0 द्वारा अपीलांटस को कुरेजात रिपोर्ट बाबत् कोई नोटिस जारी नहीं किया गया एवं अपीलांटस के पीठ पीछे कुरेजात रिपोर्ट तैयार करवाई गई है जिस बाबत् अपीलांटस ने अधी0न्याया0 के समक्ष आपत्ति भी पेश की थी किन्तु अधी0न्याया0 आपत्ति को स्वीकार कर पुनः कुरेजात रिपोर्ट मंगवाई थी इसके बावजूद अपीलांट को सूचित किए बिना एवं अपीलांट की उपस्थिति के बिना पुनः कुरेजात रिपोर्ट तैयार कर अधी0न्याया0 को भिजवाई गई है । अधी0न्याया0 ने भी इस एकतरफा कुरेजात रिपोर्ट के आधार पर अंतिम डिक्री पारित कर दी जो विधिविरूद्ध होने से निरस्तनीय है । बहस में आगे कथन किया कि यदि कुरेजात रिपोर्ट पक्षकारों के मध्य मतभेद था तो अधी0न्याया0 का यह दायित्व था कि वे सभी पक्षकारों

की मौजूदगी में पुनः कुरेजात रिपोर्ट तैयार करवाकर प्राप्त करते । कुरेजात रिपोर्ट तैयार करवाते समय पक्षकारों को मौके पर मौजूद रहने बाबत् कोई नोटिस जारी नहीं किया गया जो नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत होने से एकतरफा कुरेजात रिपोर्ट के आधार पर पारित अंतिम निर्णय व डिक्री निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलांटस स्वीकार कर अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व अंकित डिक्री दिनांक 5.4.2016 निरस्त की जावे ।

5. विद्वान वकील अपीलांटस ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 का प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण आक्षेपित निर्णय व अंतिम डिक्री की जानकारी पूर्व में नहीं थी क्योंकि प्रार्थीगण के अधिवक्ता ने उनसे यह कह रखा था कि उन्हें हर पेशी पर आने की आवश्यकता नही है जब भी प्रकरण का फैसला होगा उन्हें सूचना दे दी जावेगी लेकिन प्रकरण के निर्णय बाबत् अधिवक्ता द्वारा कोई सूचना नहीं दी गई जिससे समय पर निर्णय की जानकारी नही हो सकी थी। सर्वप्रथम जानकारी अप्रार्थीगण द्वारा मौके पर जाकर प्रार्थीगण द्वारा काटी गई ज्वार की फसल को नष्ट करने पर तथा यह कहने पर कि कोर्ट ने उनके पक्ष में अंतिम डिक्री पारित कर दी है तब हुई । तत्पश्चात् अपीलांटस ने अपीलाधीन निर्णय व अंतिम डिक्री की प्रमाणित प्रतियां प्राप्त कर जानकारी से अंदर मियाद यह अपील पेश की है । अपील में हुआ विलंब उचित एवं सद्भाविक है । अतः अपील अंदर मियाद शुमार की जावे ।

6. विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1 व 2 ने बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 5.4.2016 विधिसम्मत् है। अधी0न्याया0 ने विवादित आरायिजात बाबत् तहसीलदार से कुरेजात रिपोर्ट प्राप्त की थी किन्तु अपीलांटस द्वारा ऐतराज किये जाने पर अधी0न्याया0 ने दुबारा कुरेजात रिपोर्ट प्राप्त कर अपीलांटस द्वारा अधी0न्याया0 के समक्ष प्रस्तुत आपत्तियों का निस्तारण कर वाद में अंतिम डिक्री पारित की है जो विधिसम्मत् है। अतः अपील अपीलांट निरस्त की जावे ।

7. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । हम सर्वप्रथम अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 का निस्तारण करना उचित समझते है । अपीलांटस ने अपने प्रार्थना पत्र में विलंब के जो कारण अंकित किये है वे उचित एवं सद्भाविक प्रतीत होते है । हम न्यायहित में अपीलांटस को सुना जाना न्यायोचित समझते है । अतः प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 न्यायहित में स्वीकार किया जाकर अपील अपीलांटस अंदर मियाद शुमार की जाती है ।

8. प्रकरण में गुणाावगुण पर पत्रावली का अवलोकन किया गया । पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधी0न्याया0 ने प्रकरण में दिनांक 5.4.2016 को अंतिम डिक्री पारित की है । यह अंतिम डिक्री अधी0न्याया0 ने निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 25.11.2014 के अनुसरण में पारित की है । अपीलांटस द्वारा अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 25.11.2014 के विरूद्ध हाजा न्यायालय के समक्ष अपील संख्या 450/2016 बउनवान विश्राम व अन्य बनाम छीतरमल व अन्य अपील पेश की गई थी जो हाजा न्यायालय के निर्णय दिनांक 28.6.2019 द्वारा अपीलांटस की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 25.11.2014 निरस्त की जाकर प्रकरण अधी0न्याया0 को प्रतिप्रेषित किया गया है । जब अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 25.11.2014 निरस्त की जा चुकी है तो उसके आधार पर पारित निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 5.4.2016 भी स्वतः ही निष्प्रभावी होकर सारहीन हो जाती

है । ऐसी स्थिति में अपीलांटस द्वारा निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 5.4. 2016 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील स्वीकार योग्य तथा अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व अंकित डिक्री दिनांक 5.4.2016 निरस्त योग्य पायी जाती है ।

9. अतः अपील अपीलांटस स्वीकार की जाती है तथा विद्वान उपखण्ड अधिकारी, दूदू द्वारा पारित निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक दिनांक 5.4. 2016 को निरस्त किया जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

10. निर्णय आज दिनांक 28.6.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर